न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78 / 2014	13 / 11 / 2014	21 / 11 / 2025

बाबूलाल पुत्र श्री नन्दा जाति कुशवाहा (काछी) निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

1. भूलीबाई पुत्री भंवरलाल जाति पासवान निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल निवास खातौली जिला कोटा राज.
2. चतरी बाई पुत्री भंवरलाल जाति पासवान निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. बबलू पुत्र श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पौपल्दा जिला कोटा राज.
4. सोनू पुत्र श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5. माया पुत्री श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
6. गीताबाई पत्नी श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमोला पटवार हल्का नीमोला तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की खाता सं. 177 की ख.नं. 31 रकबा 0.25 है. ख.नं. 469 / 995 रकबा 1.43 है. भूमि स्थित है जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त कृषि आराजी भंवरलाल के खाते की थी जिनके कोई पुत्र नहीं था मात्र दो पुत्रिया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 है। प्रतिवादीगण 3 ता 6 श्याम के वारीसान है. जो भंवरलाल का दत्तक पुत्र है। जिसका देहावसान 2012 में हो चुका है। भंवरलाल के कोई पुत्र नहीं होने से उनकी पगड़ी प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 के पिता व पति श्याम के बंधी थी और भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही श्याम को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था तभी से श्याम भंवरलाल के पास पुत्र के रुप में रह रहा था। भंवरलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी दोनो पुत्रियों भूलीबाई व चतरीबाई का विवाह कर दिया और भंवरलाल जी द्वारा जो कुछ उन्हें देना था व ह उन्हे दे दिया गया था और भंवरलाल जी की दोनो पुत्रियां अपने–अपने ससुराल में परिवार सहित जीवन यापन करने लगी थी उक्त कृषि आराजी में भंवरलाल जी की दोनो पुत्रियों भूलीबाई व चतरीबाई का कोई हिस्सा नहीं रहा था जिससे भंवरलाल जी की दोनो पुत्रियों भी सहमत रही है। भंवरलाल का देहावसान 40 वर्ष पूर्व हो गया था और उक्त कृषि आराजी भंवरलाल जी के दत्तक पुत्र श्याम को प्राप्त हुई थी जब से ही श्याम काबिज काश्त था इस तरह श्याम ही उक्त कृषि आराजी का एक मात्र हकदार था। श्याम भंवरलाल जी का एक मात्र वारिस होने से ही उक्त कृषि आराजी उसके खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी तथा कानूनन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का यह विधिक दायित्व था कि वह भंवरलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि आराजी को भंवरलाल जी के एक मात्र वारिस श्याम के खाते दर्ज करते

किन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी तरीके से मनमानी पूर्वक उक्त कृषि आराजी प्रतिवादी क्रम भूलीबाई व प्रतिवादी क्रम 2 चतरीबाई के नाम सम्भाग में दर्ज कर दी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया गया इन्द्राज पूर्णतया गलत गैर कानूनी व मात्र दिखावटी है जिससे उक्त कृषि आराजी में उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। भंवरलाल जी की पुत्रियों चतरी व भूलीबाई का उक्त कृषि आराजी पर व उसके किसी हिस्से पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। क्योकि भंवरलाल जी ने अपने जीवनकाल में अपना पुत्र मान लिया था तभी से ही श्याम ही उक्त कृषि आराजी में काबिज काश्त था जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं थी तथा पूर्ण सहमति थी। दिनांक 11–6–2000 को भंवरलाल जी के दत्तक पुत्र श्याम द्वारा ही प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 2 तथा अन्य अन्य प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमतियों से ही ग्राम नीमोला की कृषि आराजी खसरा नं0 31 रकबा 0.25है0, खसरा नं. 469/995 रकबा 1.43 है. कृषि भूमि को वादी के पक्ष में बेचान कर कब्जा संभला दिया था तथा इस बाबत एक इकरार नामा बाबत बेचान नोटेरी से तस्दीक करवा कर रुबरु गवाहान 2,26,000/– रुपये प्राप्त कर लिये थे तथा उक्त इकरार नामा अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की सहमति से ही बेचान कर कब्जा परिदत किया था जब से ही वादी उक्त वादग्रस्त आराजी पर खुलमखुला शातिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 की जानकारी से ही वादी लगातार शांतिपूर्वक प्रतिकुल रुप से दिनांक 11–6–2000 से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसकी जानकारी समस्त प्रतिवादीगण को है। कानूनन रुप से उक्त कृषि आराजी में सम्पूर्ण हक व अधिकार प्रतिवादीगण के समाप्त हो चुके है, और वादी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर उक्त कृषि आराजी का खातेदार हो गया है और वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। भंवरलाल जी की पुत्रियां भूलीबाई व चतरीबाई भी स्वयं यह मानती रही है। उक्त कृषि आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम मात्र दिखावटी है और उक्त कृषि आराजी में उनका कोई अधिकार नही है। एक माह पूर्व वादी उक्त कृषि आराजी पर सरसो की बुवाई कर रहा था कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 एक राय होकर आये कि उक्त कृषि आराजी हमारे खाते की है हम तुम्हे इस पर काश्त नहीं करने देगे तथा कब्जा करके रहेगें या फिर किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर देगे, वादी ने कहा कि उक्त कृषि आराजी का वह अकेता है। और पिछले 14 वर्षों से लगातार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। और प्रतिवादीगण 1 ता 6 को समझा बुझा कर वापिस भेजा लेकिन दिनांक 8–11–2014 वादी अपनी सरसो की फसल में पानी दे रहा था कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 खेत पर आये और वादी को धमकी दी है कि वे उक्त कृषि आराजी पर कब्जा करके रहेगे तथा उक्त कृषि आराजी का बेचान करके रहेंगे। इसलिए वादी के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को जारिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने। यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 8–11–2014 को प्रतिवादीगण 12 द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने व बेचान करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर श्रीमान से निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम निमोला तहसील पीपल्दा की कृषि आराजी खसरा नं0 31 रकबा 0.25है0, खसरा नं. 489/995 रकबा 1.43 है. का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। ग्राम निमोला तहसील पीपल्दा की कृषि आराजी खसरा नं0 31 रकबा 0.25है0, खसरा नं. 469/995 रकबा 1.43 हैक्टर पर प्रतियादीगण, वादी के शांति पूर्ण कब्जे कास्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे। उक्त कृषि आराजी के उपयोग उपभोग तथा डवलपमेन्ट में किसी प्रकार का व्यवधान न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे। दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त कृषि आराजी पर कब्जा कर लेवे तो खुला कब्जा दिलवाया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री इन्द्रजीत मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवाद शपथ पत्र पी0डब्लयू0 1 बाबूलाल, पी0डब्लयू0 2 मांगीलाल, पी0डब्ल्यू0 3 परमेश्वर, पी0डब्ल्यू0 4 रामकल्याण पेश किए। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निमोला खाता सं0 177 प्रदर्श पी–1, नकल इकरारनामा दिनांक 11.06.2000 प्रदर्श पी–2 पेश किए।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम नीमोला के आराजी ख0नं0 31 रकबा 0.25है0, ख0नं0 469/995 रकबा 1.43है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.74है0 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार के अलावा अन्य श्यामलाल व्यक्ति द्वारा इकरारनामा के आधार पर बेचान करने का है। परन्तु इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के तहत अनुमत नहीं है। विक्रेता श्यामलाल के भंवरलाल के दत्तक पुत्र होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78 / 2014	13 / 11 / 2014	21 / 11 / 2025

बाबूलाल पुत्र श्री नन्दा जाति कुशवाहा (काछी) निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

1. भूलीबाई पुत्री भंवरलाल जाति पासवान निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल निवास खातौली जिला कोटा राज.
2. चतरी बाई पुत्री भंवरलाल जाति पासवान निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. बबलू पुत्र श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पौपल्दा जिला कोटा राज.
4. सोनू पुत्र श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5. माया पुत्री श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
6. गीताबाई पत्नी श्री श्याम जाति पासवान निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा